कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री आर0 एन0 मोटर्स, राधा रोड, रामपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**036 / 13, 14.08.2013**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री आर0 एन0 मोटर्स, राधा रोड, रामपुर द्वारा दिनांक 14.08.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह पूछा गया है कि मिलेट्री कैन्टीन एवं सी0 आर0 पी0 एफ0 को मोटर साइकिल की बिक्री करमुक्त (वैट फ्री) रहेगी या नहीं यदि करमुक्त होगी तो किस दिनांक से ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 05.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद द्वारा पत्र संख्या-1738, दिनांक 13.09.2013 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि मिलेट्री कैन्टीन एवं सी0 आर0 पी0 एफ0 को की जाने वाली मोटर साइकिल की बिक्री पर उत्तर प्रदेश के अन्दर वैट मुक्त करने से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-356, दिनांक 04.04.2013 के कालम संख्या-2 एवं 3 के अनुसार कालम संख्या-2 में अंकित व्यक्तियों के वर्ग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर विक्रय हेतु खरीद किये जाने पर कालम संख्या-3 में उल्लिखित शर्त पूर्ण होने पर करमुक्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-7 (ग) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-252, दिनांक 01.02.2008 जारी की गयी थी जिसमें कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट / मिलेट्री कैन्टीन्स तथा U.P. Government Employees Welfare Corporation को की गयी बिक्री या उनके द्वारा की गयी खरीद-बिक्री को कतिपय शर्तों के साथ करमुक्ति दी गयी थी। इस विज्ञप्ति में प्रतिबन्धित वस्तुओं की एक सूची भी दी गयी थी। जिनकी खरीद-बिक्री पर कोई छूट देय नहीं थी। इस विज्ञप्ति में संशोधन करते हुए अधिसूचना संख्या-356, दिनांक 04.04.2013 जारी की गयी जिसमें केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्यों को की गयी बिक्री या उनके द्वारा की गयी खरीद को भी कतिपय शर्तों के अनुसार छूट दी गयी किन्तु प्रतिबन्धित सूची इस सन्दर्भ में भी लागू रहेगी। इस प्रतिबन्धित सूची के क्रमांक-10 पर मोटर साइकिल अंकित है। अत: मोटर साइकिल की खरीद-बिक्री पर कोई छूट देय नहीं होनी चाहिये।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि शासन की संशोधित विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-356 / ग्यारह-7 (23) / 83-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(89)-2013, दिनांक 04.04.2013 से पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या-252, दिनांक 01.02.2008 में संशोधन किया गया है। विज्ञप्ति संख्या-252, दिनांक 01.02.2008 में अंकित प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची विज्ञप्ति संख्या-356, दिनांक 04.04.2013 के लिए भी लागू है। इस सूची में क्रमांक-10 पर मोटर साइकिल अंकित है। अत: केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्यों को बिक्रयार्थ मोटर साइकिल पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कोई छूट देय नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 28 मार्च, 2014

ह0 / 28.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।